

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन
क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि - क्या यह बात सही है कि सीतामढ़ी जिलांतर्गत सुरसंड विधान सभा क्षेत्र के सुरसंड प्रखण्ड में रातो नदी पर कई वर्ष पूर्व से ही तटबंध निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, जो अबतक पूरा नहीं हो सका हैं, जिससे ग्राम-श्रीखण्डी, भिट्टा, कोरियाही, सिमियाही एवं अन्य कई ग्रामों के निवासियों को बाढ़ एवं जलजमाव से परेशानी होती है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त नदी के तटबंध के छुटे हुए भाग का निर्माण कब तक कराने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि रातो नदी नेपाल से उद्गमित होकर सीतामढ़ी जिले के सुरसंड प्रखंड अंतर्गत श्रीखंडी भिट्टा ग्राम के समीप भारतीय भू-भाग में प्रवेश करती है। इस नदी की नेपाल क्षेत्र में कुल लंबाई लगभग 50.00 कि.मी. है। नेपाल सरकार द्वारा नदी के दोनों तटों पर तटबंधों का निर्माण किए जाने के फलस्वरूप नदी का जलप्रवाह केन्द्रित होकर भारतीय भू-भाग में प्रवेश करता है, जिससे सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिलों के विस्तृत क्षेत्रों में बाढ़ एवं जल-जमाव की समस्या उत्पन्न होती है। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत भारत-नेपाल सीमा स्थित नो-मैन्स लैंड से सीतामढ़ी एवं मधुबनी जिले के निशा रोड तक तटबंध निर्माण हेतु ₹ 110.65 करोड़ की योजना का सूत्रण कर वर्ष 2017-18 में कार्यान्वयन प्रारंभ कराया गया तथा कुल 32.00 कि.मी. के विरूद्ध लगभग 7.50 कि.मी. तटबंध का निर्माण कराया जा सका। इस योजना में प्रावधानित भू-अर्जन एवं पुनर्वास की लागत में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण योजना के पुनरीक्षण के मद्देनजर मूल एकरारनामा को यथास्थिति में बंद किया गया। इसके उपरान्त संशोधित भू-अर्जन की लागत राशि का समायोजन करते हुए योजना का पुनरीक्षित विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (₹ 305.24 करोड़) तैयार किया गया है। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर इसका कार्यान्वयन कराया जाएगा।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र(मुज0)-05-195/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/3/751 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र(मुज0)-05-195/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र(मुज0)-05-195/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

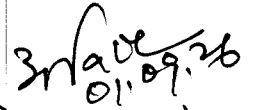
ज्ञापांक-25/वि0स0प्र(मुज0)-05-195/2026-

3912

पटना, दिनांक-

02/09/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव

